यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ाल संख्या :- 296/2020

निर्णय दिनांक :-04.04.2022

वानी दावा:-

1. दुर्गालाल पुत्र गोपीलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. दुर्लभचन्द पुत्र गोपीलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. महावीर पुत्र गोपीलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. लालाराम पुत्र मोती जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रतनलाल पुत्र मोती जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. मान सैनी पुत्र मोती जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. दशरथ सैनी पुत्र मोती जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. संतोष बाई पुत्री मोती जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. मीरा बाई पुत्री मोती जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. दांखा बाई पत्नी मोती जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0 956 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 957 रकबा 0.57 है0 ख0नं0 958 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम आंवा पटवार हल्का आंवा तहसील दूनी जिला टोक राज0 में स्थित है। अप्रार्थीगण 1 ता 7 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0 933 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम आंवा तहसील दूनी में स्थित है तथा ख0 नं0 676 रेवेन्यू रिकॉर्ड मे आम रास्ता दर्ज है। प्रार्थीगण पूर्व से ही अपनी उक्त आराजीयात पर आम रास्ता ख0नं0 676 से अप्रार्थीगण 1 ता 7 की आराजी भूमि ख0नं0 933 मे से होकर आते जाते रहे है तथा रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी भूमि से आने जाने का इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत पर आने जाने मे बाधा उत्पन्न कर रहे है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खेतो को काश्त नही कर पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे आने जाने हेतु आम रास्ता ख0नं0. 676 से अप्रार्थीगण 1 ता 7 की आराजी भूमि ख0 नं0 933 मे से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि पर जाकर काश्त कर सके। प्रार्थीगण नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी भूमि से रास्ता चाहा गया है उसके खातेदार मोती पुत्र देबीलाल माली की मृत्यु आज से एक दो माह पूर्व हो चुकी है जिसके कायम मुकामान अप्रार्थीगण 1 ता 7 है। अप्रार्थीगण 1 ता 7 के नाम अभी फोती का नामांतकरण नही खुला है। तहसीलदार जी दूनी को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0उ 956 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 957 रकबा 0.17 है0 ख0नं0 958 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम आंवा पटवार हल्का आंवा तहसील दूनी पर आने जाने के लिये आम रास्ता ख0नं0 676 से प्रार्थीगण 1 ता 7 की आराजी भूमि ख0नं0 933 मे से होकर 20 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 8 ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– प्रार्थी को आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थी को ख. नं. 933 में से 56 मीटर लम्बाई एवं 5.5 मीटर चौड़ाई यानि 308 वर्ग मीटर क्षैत्रफल का रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। अन्य आराजी ख. नं. 676 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 343392/–रूपये प्रति है0 है डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 21153/– रूपये होती है। आराजी ख. नं. 956, 957, 958 वाके ग्राम आंवा आवेदक के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी आराजी ख. नं. 676, 933 में से रास्ता चाहता है, जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। ख. नं. 676 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़, दीवार नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी मोती की मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिसान लाला, रामरतन, हनुमान, दशरथ पुत्र मीरा, सन्तोष पुत्री दाखा पत्नी मोती है । अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां. लगग्न कर सादर प्रेष्ति है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने के लिए रास्ता चाहते है। इस बाबत तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता प्रदान कर दिया जावे तो कोई आपति नहीं है, जो भी राशि बनती है प्रार्थीगण जमा करवाने के लिए तैयार है।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है, होना बताया है। आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनकी मूक

सहमति है। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है आराजी ख. नं. 956, 957 व 958 वाके ग्राम आंवा तहसील दूनी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है और प्रार्थी की इस खातेदारी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार वाके ग्राम आंवा के ख. नं. 933 में प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 5.5 मीटर तथा लम्बाई 56 मीटर यानि क्षेत्रफल 56 X 5.5 = 308 वर्गमीटर, रास्ते की भूमि की DLC दर 343392/– रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसकी 308 वर्ग मीटर के लिए दुगुनी प्रतिकर राशि 21153/– रूपये जमा कर अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी. एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

नवान दुर्गालाल बनाम लालाराम
22